ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 8, Issue 7, July 2018 Impact Factor 5.132 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

GST और भारतीय अर्थव्यवस्था

डॉ. अर्चना बी. जैन
अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख
न.मा.द. महाविद्यालय, गोंदिया

प्रस्तावना :–

GST भारत के कर ढांचे में सुधार का एक अप्रत्यक्ष कर कानून है । GST लागू होने से पूरा देश एक समान बाजार में बदल जायेगा और अधिकतर अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवाकर, वैट, मनोरंजर, विलासिता, लॉटरी टॅक्स आदि सभी ळैज में समाईत हो जायेंगे । इससे पूरे भारत में एक ही अप्रत्यक्ष कर लगेगा ।

ळैज बील पारित करना देश के लिए क्यों आवश्यक हो गया ? कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जहॉ विविधता में एकता दिखलाई देती है । उसी उद्देश्य को समक्ष रखकर कर ढांचों की विविधता में एकता लाने का कार्य ळैज बील द्वारा किया जा सकता है । भारत का वर्तमान कर ढांचा बहुत ही जटिल है । भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की विक्री पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार और वस्तुओं के उत्पादन व सेवाओं पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है ं इस कारण देश में अलग अलग प्रकार चे कर लागू है जिससे देश की वर्तमान कर व्यवस्था बहुत ही जटिल है । कंपनियों और छोटे व्यवसायों के लिए विभिन्न प्रकार के कर कानूनों का पालन करना एक मुश्किल हो गया है ।

ळैज के विकास का इतिहास :–

13 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री विजय केलकर की अध्यक्षता में वस्तु व सेवा कर पर दि. 9 अगस्त 2009 को विचार–विमर्श करने के लिए राष्टीय सम्मेलन का आयोजन किया गया । इस सभा में केलकर ने वस्तु व सेवा कर को लागू करने में केंद्र–राज्य के मध्य सहयोग एवं तालमेल को अनिवार्य शर्त बताया तथा केंद्र सरकार को राज्यों के इस मुद्दे पर उत्पन्न चिंताओं के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने की सलाही दी । इस यात्रा की अगली कडी जुलाई 2010 में उस समय जुड़ी है, जब तत्कालिन वित्त मंत्री ने वस्तु एवं सेवा कर संबंधी एकक दर प्रस्तावित करते हुए 3 वर्षीय योजना प्रस्तुत की इसमें राज्यों हेतु क्षतिपूर्ति के प्रावधानों को भी शामिल करने की बात थी । मार्च 2011 में सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर संबंधी 115 वां संशोधन विधेयक प्रस्तापित किया गया । इस परिषद ने कर की दर, सीमा एवं कर धारों के संबंध में निर्णय हेतु प्रतिबंध होगी । इसके साथ ही इस विधेयक में वस्तु व सेवा करविवाद निपटारा अधिकरण का प्रावधान भी किया गया है, जो इस संबंध में उत्पन्न विवादों के निपटारे हेतु कार्य करेगी । इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे परंतु राज्यों द्वारा इस संशोधन का साप! विरोध करते हुए कहा गया है कि यह संशोधन लागू होने से उनके राजस्व पर प्रतिकुल प्रभाव पडेगा साथ ही यह उनकी वित्तीय स्वायत्ता को भी नकारात्मक रूपसे प्रभावित करेगा । वस्तु एवं सेवा कर परिषद में केंद्रीय नेतृत्व के पौसले के अभिलाषी होने पर भी राज्यों मे आपत्ती दर्ज की है । परिणाम स्वरूप यह विधेयक पारित ना हो सका ।

सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार ने ळैज ;वस्तु व सेवा करद्ध संबंधी 122 वा संशोधन विधेयक में पूर्व में राज्यों द्वारा उठाई जा रही आपत्तियों के शमन का गंभीर प्रयास किया गया । प्रस्तावित विधेयक में राज्यों को होनेवाले संभावित नुकसान की क्षतिपुर्ति हेतु व्यापक प्रावधान करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि वस्तु एवं सेवा कर लागू होने की दिशा में प्रत्येक राज्य को पहले 3 वर्ष तक 100: मुआवजा दिया जाएका जबकि चौथे वर्ष 75: एवं पाचवे वर्ष 50: की राजस्व क्षतिपूर्ति प्रदान की जाएगी ।

ECONSPEAK: A Journal of Advances in Management IT & Social Sciences,
Vol. 8, Issue 7, July 2018 Impact Factor 5.132 ISSN: (2231-4571)
www.skirec.org Email Id: skirec.org@gmail.com

ळैज की मुख्य बातें :–

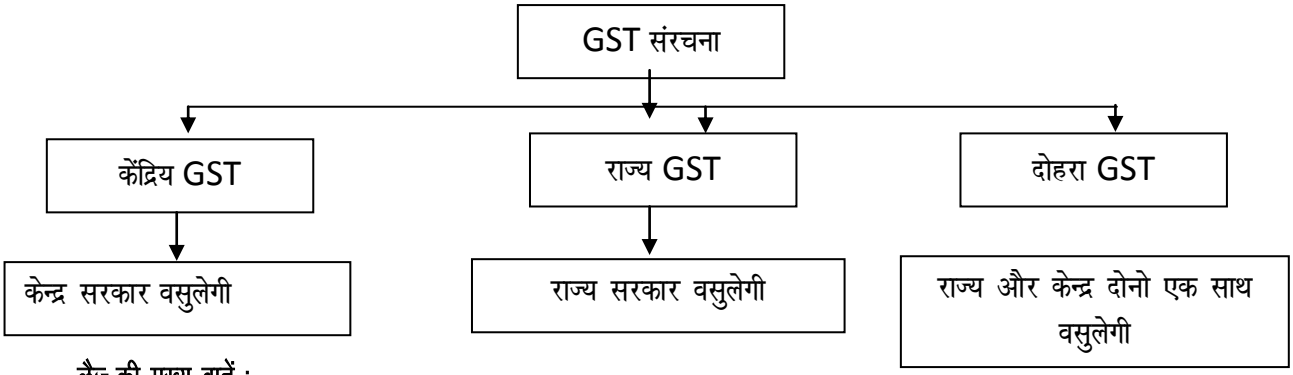

ळैज लागू होने से पूरे देश में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होगा जिसमें व्यवसायियों की खरीदी गयी वस्तुओं और सेवाओं पर चुकाए गए ळैज की पूरी क्रेटिट मिल जाएगी जिसका उपयोग वह बेची गयी वस्तुओं और सेवाओं पर लगे ळैज के भुगतान में कर सकेगा ।

1द्ध ळैज केवल अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत करेगा प्रत्यक्ष कर पर इसका प्रभाव नही होगा वे यथा स्थित ही रहेंगे ।

2द्ध ळैज लागू होने से पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा जिससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत में स्थिरता आयेगी ।

3द्ध संघिय ढांचे को बनाए रखने के लिए ळैज दो स्तर पर लगेगा । ब्ळैज ;केंद्रिय वस्तु एवं सेवा करद्ध और`ैळैज ;राज्य वस्तु एवं सेवा करद्ध और ब्ळैज का हिस्सा केंद्र को और`ैळैज्का हिस्सा राज्य सरकार को प्राप्त होगा । एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की स्थिति में प्ळैज ;एकीकृत वस्तु व सेवाकरद्ध लगेगा । प्ळैज का एक हिस्सा केंद्र सरकार को दूसरा हिस्सा वस्तु व सेवा का उपयोग करनेवाले राज्य को प्राप्त होगा ।

4द्ध ळैज्के तहत उन सभी व्यवसायी, उत्पादक या सेवा प्रदाता को रजिस्टर्ड होना होगा जिनकी वर्ष भर में कुल विक्री का मूल्य एक निश्चित मूल्य से ज्यादा है ।

5द्ध प्रस्तावित ळैज में व्यवसायियों को मुख्य रूप से तीन अलग–अलग प्रकार के टैक्स रिटर्न भरने होंगे । जिससे इनपुट टॅक्स, आउ!टपुट टॅक्स और एकीकृत रिटर्न शामिल है ।

ळक्च का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव :–

अर्थव्यवस्था की विकास दर को ळक्च में मापा जाता है । एक वषमें देश में उत्पादित की गयी वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को ळक्च कहते है । अर्थव्यवस्था की विकास दर को मापो के लिए इस वर्ष की ळक्च की तुलना पिछले वर्ष की ळक्च से की जाती है और जो ळक्च में जितनी वृध्रि होती है उसे अर्थव्यवस्था की वृध्रि कहते है ।

भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से विकास करनेवाली है । भारत की 2016–17 में ळक्च ग्रोथ 7.2 प्रतिशत के आसपास रही है । चीन की विकास दर कम हो रही है । पिछले वर्ष चीन की विकास दर 6.7 प्रतिशत रही है । ळैज लागू होने के बाद भारत की विकास दर 8 प्रतिशत के पार पहुॅच जाएगी । ळैज लागू होने के बाद वृध्दी दर का असर धीरे–धीरे देखने को मिलेगा । कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ळैज को सही ढंग से लागू किया तो विकास दर 2 प्रतिशत से भी ज्यादा बढ सकती है । ळैज लागू होने के बाद व्यापार करना आसन हो जायेगा ।

सारे देश में एक ही कर लगेगा जिससे भारत में कॉमन मार्केट का विकास होगा । इसमें वस्तुओं और सेवाओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में हस्तांतरण में बढोत्तरी होगी । इसके साथ–साथ निर्यात बढ़कर विदेशी मुद्रा की प्राप्ती होगी ।

ळैज बिल लागू होने पर सबसे ज्यादा प!ायदा देश की आम जनता को होगा । पूरे देश में सामान की खरीदी पर एक जैसा ही टॅक्स देना होगा । ळैज को लेकर लोगों में एक डर बैठ गया है कि ळैज के बाद महंगाई कापी बढ़ जाएगी । लेकिन ळैज से कुछ चीजें महंगी होगी तथा कुछ सस्ती । घर के दाम घटेगे घर को लकर कापी आशंका जतायी जा रही है और बिल्डर ळैज का डर दिखा रहे है, जबकि सरकार का कहना है कि ळैज के अंडर कंस्ट'क्शन फलॅट के दाम घटेगे । ळैज में 12 पि!सदी टॅक्स लगेगा । लेकिन इनपुट केडिट की छूट मिलेगी याने बिल्डर से सरकार से मिली रियायत का सीधा प!ायदा ग्राहक को होगा ।

कारे होगी सस्ती :–

दिल्ली को छोड़कर देश के विभिन्न हिस्से में कारें सस्ती हो गसती है । बड़ी गाड़ीयां भी सस्ती होगी, लेकिन हाईक्रिड गाडियां जैसे होंडा, एकॉर्ड, टोयोटा आदि महंगी होगी ।

बाईक होगी सस्ती :–

ळैज से बाईक कुछ सस्ती हो सकती है । बाइक पर टॅक्स करीब एक पीसदी कम होगर 28 पीसदी रह जाएगा । प्रीज, एसी, वॉशिंग मशिन की दरों में कमी होगी । वर्तमान में इन वस्तुओं पर 30–31 पीसदी टॅक्स लगता है जो घटकर 28 पीसदी रह जाएगा । इससे इन सामानों की किंमत कम होगी ।

स्लीपर का टिकट सस्ता होगा :–

ळैज से ट'ेन की टिकट पर भी असर पड़ेगा । ट'ेन के जनरल डिब्बो, स्लीपर और जनरल बस में यात्रा करने पर कोई टॅक्स नही लगेगा । लेकिन एसी ट'ेन या एसी बसो में यात्रा पर 5 पीसदी टॅक्स लगेगा । स्लीपर का टिकट सस्ता होगा एसी का महंगा ।

रेस्टॉरेंट में खाने का बिल होगा कम :–

बिना एसीवाले रेस्टॉरेंट में अभी 12.5 पीसदी वैट लगता है लेकिन ळैज से 12 पीसदी की दर से ळैज लगेगा । 0.5 पीसदी टॅक्स कम होगा ।

पि!ल्म देखना सस्ता :–

100 रूपये कम किंमत वाले पि!ल्म के टिकटों पर 18 पीसदी टॅक्स लगेगा । अभी तक टॅक्स 24 पीसदी लगता है ।

ळैज से सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी । करतदाओं की संख्या में वृद्धि होने से राजस्व में वृद्धि की संभावना होगी । कर आधार व्यापक होगा क्योंकि सभी वस्तुओं और सेवाओं को कुछ छुंट के साथ लगाया जायेगा ।

व्यवसाय करने में सुगमता :–

ळैज एक एकीकृत अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा और व्यवसायों को आसानी से अपने संचालन का विस्तार करने की अनुमति देगा । यह भारत में विविमणि भी करेगा, विदेशी निवेश को आकर्षित करेगा और नौकरी सृजन के लिए नेतृत्व करेगा ।

ळैज से होनेवाला नुकसान :–

ळैज से केंद्र सरकार को तो प!ायदा होगा लेकिन राज्यों को इस बात का डर था कि इससे उन्हें नुकसान होगा । इसका कारण यह है कि इसके बाद वे कई तरह के टॅक्स नही वसुले जायेंगे । जिसमें उनकी कमाई कम हो जायेगी । पेट ोल व डिजल से तो कई राज्यों का आधा बजट चकाया है ।

ळैज का एक और नुकसार यह है कि वर्तमान में सर्विस टॅक्स 14.5 प!ीसदी लगता है । ळैज के लागू होने के बाद 18 प!ीसदी टॅक्स चुकाना होगा । ळैज्लागू होने के बाद हवाई यात्रा पर कापी असर पडने का अनुमान है । ळैज लागू हो जाने के बाद एविएशन टॅक्स स्लॅब बढ़ जाएगा । वर्तमान में यह टॅक्स 6–9 प्रतिशत है जो ळैज के बाद 15 प्रतिशत हो जायेगा ।

तंबाखू, सिगरेट पर ळैज की दर मौजूदा एक्साईज डयुटी के मुकाबले ज्यादा होगी टेक्सटाईल और ब्रांडेड ज्वेरली भी महंगी हो जायेगी ।

निष्कर्ष :–

ळैज का आम लोगों पर अच्छा प्रीााव होगा । पूरे देश में एक ही प्रकार का टॅक्स लगेगा जिससे वस्तुओं की लागत में कमी आएगी । उपभो वस्तुओं की किंमतो में कमी आयेगी । ळैज कलागू होने से पूरे देश एक ही दर से टॅक्स लगेगा । जिससे सभी राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं की किंकत एक जैसी होगी । वर्तमान में व्यवसायों को अलग–अलग प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का भुगतान करना पडता है । जैसे वस्तुओं को उत्पादन करने पर उत्पाद शुल्क, टें डिंग करने पर सेल्से टॅक्स, सेवा प्रदान करने पर सर्विस टॅक्स आदि । इससे व्यवसायों को विभिन्न प्रकार के कर कानुनों की पालना करनी पड़ती है जो कि बहुत ही मुश्किल एवं जटिल कार्य है । ळैज लागू होने से केवल एक ही प्रकार का टॅक्स देना होगा । जिससे भारत में व्यवसाय में सरलता आएगी । ळैज से पूरा देश एक मार्केट हो जाएगा तथा टॅक्स की परिपाटी खत्म हो जायेगी ।

संदर्भ ग्रंथ :–

1) GST व वित्तीय लेखांकन
2) नवभारत जुलाई 2017
3) www.google.com